न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः विनोद सिंह रावत (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. Code – UP 1893

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1065/2026
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या–3124/2026
(CNR No: UPGZ010068542026)

संदीप बैसोया, पुत्र–धर्मवीर बैसोया,
वर्तमान निवासी–मकान नं० 05,गली नं० 13 हनुमान चौक जगतपुर वजीराबाद, दिल्ली।
मूल निवासी–ग्राम खड़खड़ी, थाना–लोनी, जिला–गाजियाबाद।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश

.....विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–21/2026
धारा–109(1) बी०एन०एस०
व 3/25/27 Arms Act.
थाना–ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद।

.....

03.06.2026

1. प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त संदीप बैसोया की ओर से उपरोक्त अपराध में स्वयं को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार श्री धर्मवीर ने इस आशय का शपथ–पत्र दिया गया है कि आवेदक /अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा उनका कोई जमानत प्रार्थनापत्र अन्य किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथनानुसार दिनांक 13.01.2026 को वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार द्वारा थाना ट्रोनिका सिटी पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है कि दिनांक 12.01.2026 को पुलिस बल द्वारा अभियुक्त संदीप बैसोया व दिव्यांशु उर्फ रौकी को मु०अ०सं० 16/2026 को ताला खुलवाकर बाहर निकलवाकर बरामदगी आला कत्ल तमंचे थाना हाजा से रवाना होकर अभियुक्तगण के बताये अनुसार जैन कालोनी हर्रमपुर वाले जंगल से टंकी के पास सड़क के किनारे बनी एक पुलिया के पास गाड़ी रूकवाकर नीचे उतरकर कहा कि इन झाड़ियों के अन्दर ही उन्होंने अपने तमंचे छिपाकर रखे है तथा आगे चलकर बरामद कराने के लिए कहने लगे। अभियुक्तगण के बताये स्थान के नजदीक पहुंचने पर अभियुक्तगण द्वारा पुलिया के पास ले जाकर इधर–उधर गुमराह किया तभी संदीप व दिव्यांसु द्वारा झाड़ियों व घास के अंदर तलाश करते हुए रात का वक्त होने के कारण अंधेरे का फायदा उठाकर एकदम से पुलिसपार्टी पर जान से मारने की नियत से तमंचो से फायर कर दिए। पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ सरकारी पिस्टल से फायर किये गये तो अभियुक्तगण द्वारा आत्मसमपर्ण किया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के पास जाकर देखा गया तो अभियुक्त संदीप के बाये कंधे के पास एक तमंचा पड़ा है जिसमें खोखा कारतूस फंसा् था तथा दूसरे अभियुक्त दिव्यांशू उर्फ रौकी के दाहिने कंधे के पास तमंचा् पड़ा है।

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.06.03 16:46:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बहस करते हुए यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त निर्दोष है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। थाना लोनी की पुलिस द्वारा दिनांक 11.01.2026 को अभियुक्त को उसके घर से बुलाया गया तथा दीन दिन उसे हिरासत में रखा तथा बाद में झूठे केस में फंसा दिया है। अभियुक्त के सम्भ्रांत परिवार का सदस्य है। अभियुक्त का माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार से भागने का कोई अंदेशा नहीं है। उपरोक्त आधार पर जमानत प्रदान किए जाने की याचना की गयी है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 13.01.2026 से कारागार में निरुद्ध है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस बल पर फायर किया, जिससे पुलिसकर्मी बाल बाल बचे और आवेदक/अभियुक्त से गिरफ्तारी के समय एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ हैं। आवेदक/अभियुक्त उक्त अपराध में संलिप्त रहा है। उपरोक्त आधार पर जमानत का कोई आधार नहीं है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्क विस्तृत रूप से सुने गये तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया।

7. अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिसबल पर फायर किया जिससे पुलिसकर्मी बाल बाल बचे और आवेदक/अभियुक्त से गिरफ्तारी के समय एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस बरामद हुए है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। किसी पुलिसकर्मी के आग्नेयास्त्र की कोई चोट आना नहीं कहा गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 13.01.2026 से कारागार में निरूद्ध है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। प्रकरण में सह अभियुक्त दिव्यांशु उर्फ रोकी का जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.02.2026 को अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा स्वीकार किया जा चुका है।

8. अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुणदोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये, आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **संदीप बैसोया** की ओर से उपरोक्त अपराध में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा 75,000/– का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

(विनोद सिंह रावत)
सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

दिनांक 03.06.2026